प्रेस विज्ञप्ति

28.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने विभिन्न रियल एस्टेट परियोजनाओं में भूखंड बेचने के बहाने कई पीड़ितों/जमाकर्ताओं को धोखा देने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत साई सूर्या डेवलपर्स और अन्य के मामले में 14.63 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। जब्त की गई संपत्तियों में साई सूर्या डेवलपर्स के नाम पर पंजीकृत भूमि पार्सल शामिल हैं।

ईडी ने तेलंगाना पुलिस द्वारा साई सूर्या डेवलपर्स के मालिक सतीश चंद्र गुप्ता और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कई एफआईआर के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की। तेलंगाना पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र के अनुसार, सतीश चंद्र गुप्ता ने विभिन्न शिकायतकर्ताओं से धन एकत्र किया, लेकिन उनके नाम पर वादा की गई भूमि का पंजीकरण नहीं कराया, जिससे शिकायतकर्ताओं को धोखा दिया गया।

ईडी की जांच में पता चला कि सतीश चंद्र गुप्ता द्वारा एक सुनियोजित धोखाधड़ी की योजना को अंजाम दिया गया था। वह अनधिकृत भूमि आवंटन गतिविधियों, एक ही भूखंड को कई खरीदारों को बेचने, वैध समझौतों पर हस्ताक्षर किए बिना बिक्री राशि वसूलने और भूखंडों के पंजीकरण के संबंध में झूठे आश्वासन जारी करने में लिप्त था। ये सभी कृत्य आम जनता को धोखा देने के पूर्व निर्धारित और बेईमान इरादे से किए गए थे। उसने कई निवेशकों को बड़ी रकम हड़पने के लिए प्रेरित किया, जिससे पीड़ितों को अनुचित नुकसान हुआ और इसके परिणामस्वरूप उसे और उसकी संस्थाओं को अनुचित लाभ हुआ।

जांच में आगे पता चला कि सतीश चंद्र गुप्ता, उनके परिवार के सदस्यों और उनकी स्वामित्व/साझेदारी फर्मों के नाम पर कई बैंक खाते थे। अब तक पहचानी गई अपराध की कुल आय 14.63 करोड़ रुपये है, जो पीड़ितों से चेक, बैंक हस्तांतरण और नकद भुगतान के माध्यम से एकत्र की गई थी। बैंक खातों के विश्लेषण से पता चला कि अपराध की आय को संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों के बीच अंतर-खाता हस्तांतरण के एक जटिल जाल के माध्यम से जानबूझकर छिपाया गया था ताकि धन की वास्तविक प्रकृति और स्रोत को छुपाया जा सके। बाद में इन राशियों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया, जिससे निवेशकों को धोखा दिया गया।

आगे की जांच जारी है।